भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 979

जिसका उत्तर शुक्रवार, 5 दिसंबर, 2025/14 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

डीएपी की कालाबाजारी के खिलाफ शिकायतें

979. श्री बाबू सिंह कुशवाहा:
श्री उम्मेदा राम बेनीवाल:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि हाल के महीनों में कालाबाजारी, उर्वरकों की आपूर्ति में अनियमितता और डीएपी तथा यूरिया की कृत्रिम कमी से संबंधित शिकायतों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे देश में किसानों के लिए गंभीर समस्याएं पैदा हो रही हैं और यदि हां, तो विशेषकर राजस्थान राज्य में तत्संबंधी राज्य-वार और माह-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत एक महीने के दौरान जिन राज्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं, वहां दोषी अधिकारियों, डीलरों या विक्रेताओं के विरुद्ध राज्य-वार और माह-वार कौन सी प्रशासनिक या दंडात्मक कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या केंद्र सरकार उर्वरकों की कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए विशेष अभियान, निगरानी तंत्र लागू कर रही है और संयुक्त कार्य योजना बनाई है;

(घ) सरकार द्वारा आगामी रबी और खरीफ मौसम के दौरान किसानों को उर्वरकों की उचित मूल्य पर और समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ड.) क्या उर्वरक वितरण प्रणाली को डिजिटल ट्रैकिंग या पोर्टल-आधारित निगरानी से जोड़ा जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): चल रहे रबी मौसम 2025-26 के दौरान राजस्थान राज्य सहित राज्यों में उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त बनी रही है। इसके अलावा, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत उर्वरकों को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, राज्य सरकारों को कालाबाजारी में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्तियां दी गई हैं। उर्वरकों की कालाबाजारी के बारे में उर्वरक विभाग के स्तर पर मिली कोई भी शिकायत संबंधित राज्य सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए भेजी जाती है। तदनुसार, राज्यों से प्राप्त सूचनानुसार, दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 28.11.2025 तक की अवधि हेतु कालाबाजारी और ऐसे अन्य कदाचारों के खिलाफ उनके द्वारा किए गए प्रवर्तन उपाय **अनुलग्नक** में दिए गए हैं।

(घ) और (ड़): राजस्थान राज्य सहित देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित उपाए किए जाते हैं:

(i) प्रत्येक फसल मौसम का प्रारंभ होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

(ii) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू) द्वारा अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

(iii) **देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।**

(iv) राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे समय पर मांगपत्र जारी करके आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए विनिर्माताओं और आयातकों के साथ समन्वय स्थापित करें।

(v) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) और उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि अधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कान्फ्रेंस की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उर्वरकों के प्रेषण हेतु सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(vi) जिला स्तर पर राज्य के भीतर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

इसके अलावा, यूरिया सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत, किसानों को सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर यूरिया उपलब्ध कराया जाता है। यूरिया की 45 किग्रा. बोरी का एमआरपी 242 रुपए (नीम लेपन प्रभारों और यथालागू करों को छोडकर) है। फार्म गेट पर यूरिया की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार वसूली के बीच का अंतर भारत सरकार द्वारा यूरिया विनिर्माताओं/आयातकों को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। तदनुसार, सभी किसानों को उर्वरकों की आपूर्ति सब्सिडी प्राप्त दरों पर की जा रही है।

सरकार ने फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए दिनांक 01.04.2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति लागू की है। इस नीति के तहत, अधिसूचित पीएंडके उर्वरकों पर वार्षिक/अर्धवार्षिक आधार पर एक निश्चित राशि की सब्सिडी प्रदान की जाती है, जो यथोचित स्तर पर बाजार के उतार-चढ़ाव के अनुसार उर्वरक कंपनियों द्वारा तय की जाती है, जिसकी सरकार द्वारा निगरानी की जाती है। एनबीएस नीति देश भर में समान रूप से लागू है।

हालांकि डीएपी को ₹1350 प्रति 50 किलोग्राम बोरी के वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए, रबी 2025-26 मौसम के लिए एनबीएस सब्सिडी के अलावा विशेष प्रावधान जैसे 'अन्य लागतों', जिनमें कारखाने के गेट से फार्म गेट तक की लागत**,** अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि/कमी के कारण हुए लाभ/नुकसान शामिल हैं**,** को पूरा करने के लिए 3500 रुपये प्रति मीट्रिक टन का प्रावधान**,** एमआरपी में शामिल जीएसटी घटक के लिए प्रावधान और निवल एमआरपी (एमआरपी-जीएसटी) के 4% की दर से उचित रिटर्न का प्रावधान आयातित और घरेलू डीएपी दोनों और आयातित टीएसपी हेतु प्रदान किया गया है ताकि उर्वरकों की कीमतें स्थिर रहें।

*****

अनुलग्नक

यह अनुलग्नक दिनांक 05.12.2025 को दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.979 के उत्तर के भाग (क) से (ग) से संबंधित है।

अप्रैल 25 से नवम्बर 25 (28.11.2025 तक) तक का संचयी विवरण

अप्रैल 2025 से नवंबर 2025 तक (दिनांक 28.11.2025 तक) खरीफ मौसम के दौरान कालाबाजारी, जमाखोरी, विपथन को रोकने तथा गुणवत्ता जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई

		कालाबाजारी			जमाखोरी			घटिया गुणवत्ता			विपथन				कुल		
राज्य	निरीक्षण/छापों की संख्या	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर	विवरण के साथ दोषसिद्ध*	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर
आंध्र प्रदेश	11181	5	3	9	10	6	3	83	0	0	7	2	3	शून्य	105	11	15
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0
असम	3820	12	4	1	59	0	0	36	0	0	27	0	0	शून्य	134	4	1
बिहार	15499	1035	607	77	7	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	1042	607	77
छत्तीसगढ़	6172	294	13	4	29	1	0	136	5	0	24	0	0	शून्य	483	19	4
दादर और नगर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0
दिल्ली	255	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	3	0	शून्य	3	3	1
गोवा	614	544	180	6	10	0	0	32	1	0	16	0	0	शून्य	602	181	6
गुजरात	12210	33	3	1	0	0	0	83	2	0	7	3	11	शून्य	123	8	12
हरियाणा	4693	49	5	7	18	18	4	48	10	5	13	5	6	शून्य	128	38	22
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	3694	142	44	2	31	2	0	55	0	0	8	0	0	शून्य	236	46	2
झारखंड	759	57	20	11	32	4	0	2	0	0	1	1	0	शून्य	92	25	11
कर्नाटक	7093	365	22	0	243	5	0	221	14	2	84	6	6	शून्य	913	47	8
केरल	1299	0	0	0	0	0	0	48	0	0	4	0	3	शून्य	52	0	3
मध्य प्रदेश	5581	0	0	72	0	0	0	606	44	4	631	160	15	शून्य	1237	204	91
महाराष्ट्र	44059	16	0	16	0	0	0	1155	1139	37	1	73	1	शून्य	1172	1212	54
मणिपुर	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	शून्य	1	0	0
मेघालय	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0
मिजोरम	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	शून्य	5	0	0
नागालैंड	72	14	0	14	0	0	0	101	0	0	2	64	1	शून्य	117	64	15
ओडिशा	7031	4	3	2	0	0	0	47	1	0	1966	107	3	शून्य	2017	111	5
पुडुचेरी	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0
पंजाब	5617	37	1	1	20	0	1	192	65	3	0	0	4	शून्य	249	66	9
राजस्थान	11505	589	76	46	45	17	30	451	1	2	15	16	25	शून्य	1100	110	103
तमिलनाडु	18805	13	0	4	6	8	0	33	25	0	112	17	1	शून्य	164	50	5
तेलंगाना	115321	5	9	3	4	2	0	79	0	0	4	0	5	शून्य	92	11	8
त्रिपुरा	694	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	9	0	0
उत्तर प्रदेश	29401	2043	2742	165	164	139	8	141	130	12	88	7	12	3	2436	3018	197
उत्तराखंड	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0	शून्य	43	0	0
पश्चिम बंगाल	33777	0	0	0	0	0	0	259	0	0	0	0	0	शून्य	259	0	0
कुल	**340076**	**5258**	**3732**	**442**	**687**	**202**	**46**	**3811**	**1437**	**65**	**3058**	**464**	**96**	**3**	**12814**	**5835**	**649**

*** - प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण- मामलों की संख्या, एफआईआर का वर्ष और मामला दर्ज करने का वर्ष और आदेश की तारीख**

उपरोक्त आंकड़ों को राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संकलित किया गया है